न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 221/2013

प्रभाती बनाम मुंशी

आवेदन बाबत वाद पत्र को अबेट होने के कारण वाद को खारिज करने

आदेश

दिनांक – 24.01.2023

प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा के द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिनांक 25.1.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि उनवानी वादपत्र की आदेशिका दिनांक 24.2.2020 के अनुसार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना माननीय न्यायालय में दी है। परन्तु उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम का आवेदन अन्दर मियाद 90 दिवस में प्रस्तुत नहीं किया गय है जो कि वादीगण द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना था। ऐसी स्थिति में वादपत्र पूर्णतया स्वतः ही अबेट हो गया है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर दावा अबेट होने के कारण खारिज किया जावे।

वकील वादी द्वारा आवेदन का जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र की बहस की गई। जिसमें बताया गया कि मेरे द्वारा न्यायालय हाजा को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 का कायम मुकाम आवेदन दिनांक 09.1.2023 को प्रस्तुत किया है। जबकि अबेट का आवेदन दिनांक 25.1.2021 को प्रस्तुत किया गया है। जिसकी नकल भी वादी द्वारा दिनांक 25.1.2021 को प्राप्त की गई है। इसके अलावा वादी ने वादी संख्या 18 ओमप्रकाश का आवेदन कायम मुकाम भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसकी मृत्यु दिनांक 17.4.2016 को होना अंकित किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या 1 के कायम मुकाम में मृत्यु होने की सूचना वाद जमालूदीन बनाम मुंशी में कायम मुकाम के आवेदन की नकल दिनांक 3.1.2023 को प्राप्त होना बताया है। देरी को माफ करते हुऐ आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराया। वकील आवेदनकर्ता ने अपने कथनों व तर्कों के समर्थन में डीएनजे 2013(4) राज. पेज 1848 व डीएनजे 2012(3) राज. पेज 1715 की नजीरें पेश की।

Scanned with Oken Scanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई । वकील आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराया। वकील आवेदनकर्ता ने अपने कथनों व तर्कों के समर्थन में डीएनजे 2013(4) राज. पेज 1848 व डीएनजे 2012(3) राज. पेज 1715 की नजीरें पेश की। हमने बहस पर मनन किया एंव आवेदन के तथ्यों एवं वाद का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवेदनकर्ता का प्रथम कथन है कि उसके द्वारा सूचना देने के बाद भी वादी द्वारा समयावधि में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह प्रमाणित है कि वादी द्वारा निर्धारित समयावधि में कायम मुकाम आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है जिसके लिये वादी ने बहस में कथन किया है कि उसने न्यायालय हाजा को जानकारी नहीं दी। एक बार यह मान भी लिया जावे कि वादी ने इसकी जानकारी नहीं दी तो भी यह तथ्य न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध हो गया कि प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चूकी है। इसके अलावा वकील वादी ने दिनांक 25.1.2021 को प्रस्तुत अबेट आवेदन की नकल स्वयं ने प्राप्त की है। जो रिकार्ड पर उपलब्ध है। जबकि आवेदन कायम मुकाम दिनांक 9.1.2023 को प्रस्तुत किया गया है। वकील वादी ने वादी सख्या 18 का भी कायम मुकाम दिनांक 9.1.23 को प्रस्तुत किया है जबकि उसकी मृत्यु दिनांक 17.4.2016 को होन अंकित किया है। जिसमें देरी का कारण यह बताया गया है कि पूर्व में प्रकरण में पेरवी ओमप्रकाश के द्वारा ही की जाती थी। प्रार्थी सुरेश कमाने खाने के लिये बाहर रहता है। इसलिये जानकारी नहीं हो पाई। इसके अलावा भी वादी ने दिनांक 28.7.22 को वादिनी संख्या 11 का कायम मुकाम पेश किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि यदि यह मान भी लिया जावे कि वकील वादी ने दिनांक 24.2.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की सूचना नहीं दी तो भी वकील वादी को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 25.2.2021 को अबेट आवेदन की प्रति प्राप्त हाने पर हो जाना प्रमाणित है। जबकि अपने कायम मुकाम आवेदन में दिनांक 3.1.23 को होना अंकित किया है। दुसरा वादी संख्या 18 की मृत्यु दिनांक 17.4.16 को होना अंकित कर दिनांक 9.1.23 को आवेदन कायम मुकाम प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीनी संख्या 11 का कामय मुकाम दिनांक 28.7.22 को पेश किया गया है जबकि वादी संख्या 18 की मृत्यु वर्ष 2016 को हो चुकी थी। वादीगण को वादीगण की ही मृत्यु की जानकारी नहीं होने का कथन सही नहीं माना जा सकता है क्योंकि यदि वादी ओमप्रकाश ही पैरवी कर रहा था तो दिनांक 28.7.22 को वादीनी संख्या 11 का कायम मुकाम का आवेदन किसकी पैरवी पर प्रस्तुत किया गया । आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिवादी सख्या 1 की मृत्यु की जानकारी दिनांक 25.1.2021 को हो जाने के बाद तथा वादी सख्या 18 का कायम

Scanned with Oken Scanner

मुकाम 7 वर्ष पश्चात पेश करने में देरी के कारण स्पष्ट व प्रमाणिक नहीं होने के कारण आवेदनकर्ता का आवेदन अबैट का स्वीकार किया जाता है। दावा अबेट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.1.23 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी सीकर

Scanned with Oken Scanner